

Test Booklet Code: 188

Test Booklet No: 580081

Total Ques: 100

1 C

Ex. कथन-1 : इसने उसे प्रान्तों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन ने धर्म निरपेक्ष मानवीय ऐरेंसी, अर्थात् सरकार, द्वारा बनए गए नागरिक कानूनों की संकल्पना की शुरुआत की और पिछले शासकों के व्यक्तिगत शासन की जगह सार्वभौमिक रूप से लागू किया।

1876 में प्रान्तों को जिलों में विभाजित किया गया और वहाँ कलकटरों की नियुक्त की गई।

कथन-2 : इसके परिणामस्वरूप जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हुई वह यह कि चाय को छोड़कर, व्यापार और वाणिज्य में ब्रिटिश इंस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया और भारत में सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए।

2 D

Ex.

3 D

Ex. स्पष्टीकरण : वायसराय की कार्यकारी परिषद् अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बन गई। मूलरूप से भारत के वायसराय की अध्यक्षा में इसे मन्त्रिपरिषद् में बदल दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों को परिषद् के उपाध्यक्ष, जिस पद पर जवाहरलाल नेहरू थे, को सौंप दी गई थी।

कथन-1 : रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था जो परिषद् के केवल सदस्य थे।

कथन-2 : वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग गजपक्फर अली खान के पास था।

कथन-3 : विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय पंडित नेहरू के पास था जो परिषद् के उपाध्यक्ष थे। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था।

4 A

Ex.

5 C

Ex.

6 C

Ex.

7 D

Ex.

8 A

Ex. इसे पहले SAMPDA के नाम से जाना जाता था जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि वर्गादी को कम करना है।

अतः यह Food Processing से सम्बन्धित है।

9 D

Ex. 8. संचालन समिति— डॉ. राजेंद्र प्रसाद कार्यों के निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की। इनमें से आठ प्रमुख समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियों थीं। इन समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं—

1. संघ शक्ति समिति—जवाहर लाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति—जवाहर लाल नेहरू
3. राज्यों संबंधी समिति (राज्यों के साथ वार्ता हेतु समिति)—जवाहर लाल नेहरू
4. प्रांतीय संविधान समिति—सरदार पटेल
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और बाहर रखे गए क्षेत्रों संबंधी परामर्श समिति—सरदार पटेल
6. प्रारूप समिति— डॉ. बी.आर. अंबेडकर
7. प्रक्रिया नियम समिति— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

10 A

Ex.

11 C

Ex. स्पष्टीकरण: सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भातर के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित करने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायी निकाय भी बनाया गया अर्थात् इसने देश के लिए सामान्य कानून का निर्माण भी किया।

बहुमत प्राप्त दल ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, न कि संविधानसभा ने।

12 B

Ex.

13 B

Ex.

14 A

Ex. NAPCC के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 मिशन हैं—

1. राष्ट्रीय सौर मिशन
2. परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन
3. सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. सतत हिमालयी पारिस्थितिक तन्त्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
7. सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

15 D

Ex.

16 A

- Ex.** राज्यपाल राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता है, किन्तु केन्द्र में राष्ट्रपति के तहत ही राज्य में विधानमण्डल का अंग होता है। राज्यपाल का विधानमण्डल की शक्तियों से गहन सम्बन्ध है और उसे कई प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं; जैसे
- यह विधानमण्डल के दोनों सदनों (जिस राज्य में अस्तित्व में हैं) अथवा विधानसभा में भाषण दे सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है।
  - प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण (सम्बोधन) से प्रारम्भ होता है, जिसमें राज्य की नीतियों का वर्णन होता है।
  - वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटित कर सकता है। अधिवेशन बुलाने की राज्यपाल की शक्ति पर एक संवेधानिक शर्त है और वह यह कि पहली अधिवेशन की अन्तिम तिथि अगले अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हा इत्यादि। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानमण्डल राज्य के विषय पर वह स्वयं अपना नियम बनाता है।

17 A

Ex.

18 D

- Ex.** भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविथ प्रदान करना है। यह ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा आदि की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। यह नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) का नया ब्रांड नाम है।

19 D

- Ex.** भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 इस प्रकार चलता है—“इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय आदि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनियन्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।”

20 D

Ex.

21 B

- Ex.** संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्त के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय प्रणाली के कथनों के अनुसार, राज्यपाल को राज्य विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राज्यपाल की खुशी के दौरान अपना पद संभालते हैं। संसद के एक सदस्य को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह 6 महीने की अवधि के भीतर राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाए।

22 D

- Ex.** अन्त्योदय अन्न योजना का उद्देश्य निर्धारित में निर्धारित आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत 2.5 करोड़ परिवार अभिप्रेत लाभार्थी हैं जो कि बीपीएल का 38 प्रतिशत भाग है। AAY राष्ट्रीय खाद्याय सुरक्षा अधिनियम का ही एक अवयव है तथा इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान प्राप्त करने के हकदार होते हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरण लागत ग्रहण करना होता है तथा इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के लिये मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत भी सम्मिलित है।

23 D

- Ex.** दिए गए सभी कथन सही हैं। 1989 में शीर्ष अदालत में नियुक्त, एम. फातिमा बीवी भारत की सर्वोच्च अदालत का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनीं, और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं और वह 5 फरवरी 1991 को एक राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिल बनीं।

24 C

- Ex.** हालाँकि भारत में एक दोहरी राजनीति है, लेकिन न्याय प्रशासन की कोई दोहरी प्रणाली नहीं है। दूसरी ओर, संविधान ने शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालयों के साथ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की। अदालतों की यह एकल प्रणाली दोनों केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। यह उपचारात्मक प्रक्रिया में विविधिता को खत्म करने के लिए किया जाता है। एक राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित और हटाया भी जा सकता है। संसद दो याउ धिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गोवा या पंजाब और हरियाणा में एक सामान्य उच्च न्यायालय है।

25 D

- Ex.** ये सभी 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के प्रावधान थे, जो आंतरिक आपातकाल के दौरान पारित किए गए थे।

26 C

- Ex.** छावनी बोर्ड में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन के लिए एक छावनी बोर्ड स्थापित किया गया है। यह 2006 के कैटोनमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है—‘केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इस प्रकार, उपरेक्ष चार प्रकार के अस्त्रीय स्थानीय निकायों के विपरीत, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए और प्रशासित हैं, एक छावनी बोर्ड बनाया जाता है और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड के सदस्यों को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित किया जाता है।

27 B

Ex.

28 C

- Ex.** राष्ट्र के रूप में योजना और संवर्धन।

29 D

Ex.

30 A

Ex.

31 D

**Ex.** पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) की अवधारणा 1960 के दशक में यूएसए में उत्पन्न हुई और विकसित हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह पहले से अप्रमाणित समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह इस तथ्य की मान्यता में किया गया था कि कानूनी सेवाओं के लिए साधारण बाजारस्थल आबादी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और महत्वपूर्ण हितों के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। ऐसे समूहों और हितों में गरीब, पर्यावरणविद, उपभोक्ता, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक और अन्य शामिल हैं।

32 D

Ex.

33 D

Ex.

34 A

**Ex.** चूंकि चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर अधीक्षण और नियंत्रण ईसी में निहित है, इसलिए यह चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए तैनात सिविल सेवकों पर दिशा और नियंत्रण रखता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव के प्रशासनिक पहलुओं में शामिल नौकरशाह, कानून और व्यवसथा के कर्तव्यों वाले पुलिस अधिकारियों सहित, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी उत्तरदायी हैं।

यह शक्ति चुनाव आयोग को उन दोनों तरीकों की निगरानी करने में सक्षम बनाती है जिनमें सिविल सेवक अपने चुनाव संबंधी कर्तव्यों का पालन करते हैं, और उन गतिविधियों को रोकते हैं जिन्हें आंशिक रूप से देखा जा सकता है।

चुनाव आयोग को चुनाव के समय अधिकारियों को स्थानांतरित करने या निलंबित करने के लिए चुनाव आयोग 324 के तहत अपनी विशाल शक्तियों का हवाला देता है, भले ही वे आम तौर पर भारत सरकार या राज्य सरकारों के अनुशासनात्मक दायरे में आते हैं। चुनाव आयोग के न केवल रिटर्निंग ऑफीसर, बल्कि पुलिस कमिशनर और पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी हुए हैं।

35 C

**Ex.** 1950 में और 15 अक्टूबर 1989 तक अपनी स्थापना के बाद से, चुनाव आयोग नेमुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया। 16 अक्टूबर 1989 करो, राष्ट्रपति ने 21 से 18 वर्ष तक की मतदान आयु कम करने के कारण निर्वाचन आयोग के बढ़ते कार्य का सामनाकरने के लिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इसके बाद, चुनाव आयोग ने तीन चुनाव आयुक्तों के साथ एक बहु-निकाय के रूप में कार्य किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है। EC संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करता है।

36 D

**Ex.** कथन 1 और कथन 2 संभव नहीं है क्योंकि ये ऐसे उद्देश्य हैं जो सरकार को रोकते हैं, और राज्यसभा को इस शक्ति का आनंद नहीं मिलता है।

अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे लोकसभा में मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ ले जाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अब कुछ मामलों में उनकी अपर्याप्तता या उनकी विफलता के कारण जिम्मेदारी के पदों को रखने के लिए फिट नहीं माना जाता है। दायित्वों। लोकसभा में इसके गोद लेने के लिए कोई पूर्व कारण नहीं बताया जाना चाहिए।

37 D

**Ex.** नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध अप्रवासी को एसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करता है या वीजा परमिट की समाप्ति के बाद देश में रहता है। अप्रवासी जो आव्रजन प्रक्रिया के लिए झूठे दस्तावेजों का उपयोग करता है वह भी अधिनियम के अनुसार एक अवैध आप्रवासी है।

38 A

**Ex.** संसद के पास (और किसी राज्य की विधायिका में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या अनुच्छेद 16) में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी।

39 A

**Ex.** स्टार्ट अप इण्डिया का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्ट अप के पोषण के लिये एक मजबूत इको सिस्टम का निर्माण करना है। उद्योग संबद्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग (DP & IT) इसकी क्रियान्वयन एजेन्सी है।

स्टार्ट अप की परिभाषा के अन्तर्गत एक योग्य स्टार्ट अप वह होगा जो सरकार के तहत पंजीकृत को और 10 वर्ष से कम के लिये निगमित किया गया हो, और उसका टर्नओवर उस अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

40 B

Ex.

41 C

**Ex.** — केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड : महिला और बाल विकास मंत्रालय।  
— पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।  
— अंतर-राज्य परिषद : गृह मंत्रालय

42 D

Ex.

43 B

**Ex.** संसद के किसी भी सदन में प्रयोजन के लिए एक विधेयक की शुरुआत से ही संविधान का संशोधन शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में।

यह सच है कि संशोधन का प्रस्ताव उल्लिखित विकल्पों में से किसी से भी आ सकता है, लेकिन कार्यकारी मंजूरी के बाद ही इसे संसद में रखा जा सकता है। यहाँ से औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है।

44 B

**Ex.** संविधान संसद को नए राज्यों के गठन या उनकी सहमति के बिना मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है।

45 A

- Ex.** राज्य सभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों की रक्षा करना है। समवर्ती सूची के मामलों में, संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं।

46 C

**Ex.**

47 D

- Ex.** संविधान राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है। तदनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) को समाप्त कर सकती है या इसे बना सकती है (जहां इसका अस्तित्व नहीं है), यदि संबंधित राज्य का विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है। राज्यपाल एंगलो-इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकते हैं, अगर समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय कर दी है, लेकिन संसद द्वारा एक परिषद की वास्तविक ताकत तय की जाती है।

48 C

- Ex.** आयोग कानून द्वारा सरकार की स्वायत्ता के रूप में स्थापित किया गया है, न कि संविधान द्वारा। एनएचआरसी खुद दोषियों को सजा नहीं दे सकता। यह अदलातों की जिम्मेदारी है। एचएचआरसी मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करने के लिए है। इस प्रकार, इसकी सिफारिशें न तो अदलातों के लिए बाध्यकारी हैं और न ही सरकार के। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खलाफ शिकायत करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक एनएचआरसी को पत्र लिख सकता है। NHRC से संपर्क करने के लिए कोई शुल्क या कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है।

49 B

- Ex.** एचसी के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के समेकित कोष से वसूले जाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन चार्ज व्यय/कला 112(3) के रूप में देय होती है।

50 D

- Ex.** कथन 1 और 4 अनिवार्य प्रावधान हैं और कथन 2 और 3 रैमेंटिक प्रावधान हैं।

51 A

**Ex.**

52 B

- Ex.** अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। वे स्वयं व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।

53 D

- Ex.** मूल रूप से, इसके 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता 30 हो गई। सभी तीस सदस्य केवल लोकसभा से हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। (कथन 1)

यह संसद द्वारा मतदान किए जाने के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करता है, और इससे पहले नहीं। (कथन 3)

54 C

- Ex.** स्पीकर प्रो टेम्प किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष ने नव-निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर दिया। इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अध्यक्ष प्रो टेम्प के रूप में नियुक्त करता है। आमतौर पर, सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। (कथन 1) राष्ट्रपति स्वयं अध्यक्ष प्रो टेम को शपथ दिलाते हैं। (कथन 2)

55 C

- Ex.** कथन 1 – राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में मिलने के लिए बुला सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में दोनों सदनों और उपाध्यक्ष के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि संयुक्त बैठक से उपसभापति भी अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का उप सभापति अध्यक्षता करता है। यदि वह अनुपस्थित है, तो इस तरह के अन्य व्यक्ति को संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बैठक की अध्यक्षता करता है। कथन 2 – संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण बिलों या वित्तीय बिलों पर लागू होता है, न कि मनी बिलों या संवैधानिक संशोधन बिलों पर।

56 D

- Ex.** परिषद की अधिकतम ताकत विधानसभा की कुल ताकत का एक तिहाई और न्यूनतम ताकत 40 (कुछ अपवादों के साथ) तय की गई है। विधान परिषद का अध्यक्ष परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। परिषद अधिकतम 4 महीने की अवधि के लिए बिल में देरी कर सकती है।

57 B

- Ex.** राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) में उल्लिखित विषयों के संबंध में केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।

58 B

**Ex.**

59 A

- Ex.** 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान पहला कानून आयोग स्थापित किया गया था।

60 B

- Ex.** संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्यों की यूपीएसएसी द्वारा संसद द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यह यूपीएसएसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के कार्यक्रम प्रणाली को भी रख सकता है। इसलिए यूपीएसएसी के क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

61 D

**Ex.**

62 C

- Ex.** – कथन 1 और 5 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। – कथन 2, 3 और 6 विधायी शक्तियाँ हैं। – कथन 4 वित्तीय शक्ति है।

63 C

- Ex.** वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया है।

वेतन : मुख्य सूचना आयुक्त – 2.5 लाख  
अन्य सूचना आयुक्त – 2.25 लाख

- 64 D  
Ex. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार SC भी RTI के दायरे में आता है।
- 65 C  
Ex. नागरिकता के सम्बन्ध में संसद द्वारा पारित विधि राज्यों के लिए बाध्यकारी होगी।
- 66 C  
Ex. भारत में 'विधि का शासन' संकल्पना में विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा शामिल है इसलिए राज्य संरक्षणत्वक विभेद कर सकता है।
- 67 D  
Ex. संविधान का अनुच्छेद 19(2) में प्रावधानित मुक्ति युक्त निर्वचन आरोपित किये जा सकते हैं।
- 68 B  
Ex. अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत अभिदाता (subscriber) 60 वर्ष की आयु के उपरान्त अपने अंशदान के आधार पर एक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। 18 से 70 वर्ष की आयु के समूह के सभी नागरिकों (एनआरआई सहित) के लिये उपलब्ध है। प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी नागरिकों (एनआरआई सहित) के लिये उपलब्ध है।
- 69 C  
Ex.
- 70 C  
Ex. राज्य अचल संपत्ति अंधग्रहीत कर सकता है।
- 71 A  
Ex.
- 72 C  
Ex.
- 73 A  
Ex. परमादेश – हम आदेश देते हैं।  
प्रतिषेध – हम रोकते हैं।  
हैवियस कार्पस – सशरीर उपस्थित करो।  
उत्प्रेषण – प्रमाणित करते हैं।
- 74 C  
Ex. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में:  
– संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य  
– राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य  
– दिल्ली एवं पुडुच्चेरी विधायिका के निवाचित सदस्य होते हैं।
- 75 A  
Ex. महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने हेतु राष्ट्रपति को प्रेषित 14 दिनों की नोटिस की अवधि (ना कि 30 दिनों) की समाप्ति कर लिया जा सकता है।
- 76 B  
Ex. विधिक सरकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकते।
- 77 D  
Ex. धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सभा को कोई विशेष शक्ति नहीं है, लोक सभा की शक्तियाँ राज्य सभा पर प्रभाव होती है। इसलिए यह संघीय विशेषता नहीं है।
- 78 B  
Ex. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही लाया जा सकता है, ना कि राज्य सभा में।
- 79 B  
Ex. स्पीकर सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कृत्यों एवं निर्णयों के प्रति न्यायपालिका के समक्ष प्रश्नगत नहीं किये जा सकते, किन्तु लोक सभा सचिवालय के सचिव के रूप में कार्यों एवं निर्णयों के प्रति प्रश्नगत किये जा सकते हैं।
- 80 D  
Ex. दल–बदल निरोधक कानून के अन्तर्गत अयोग्य ठहराये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 102 (2) में है।
- 81 C  
Ex. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्कीम है। प्राकृतिक आपदा, कीठ और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज इसका उद्देश्य है। सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिये क्रमशः 2% एवं 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। ऋण प्राप्तकर्ता किसानों हेतु अनिवार्य है। पोस्ट हार्डर्स्ट हानियों को भी कवर किया गया है।
- 82 A  
Ex. साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती।
- 83 C  
Ex. धन विधेयक में अनुच्छेद 110 में दिये गये विषय शामिल किये जो हैं और करारोपण, करों को हटाया जाना या विनियमन अनुच्छेद 110 में वर्णित है।
- 84 A  
Ex. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में विधेयक पर अवरोध का समाधान साधारण बहुमत से किया जाता है, न कि विशेष बहुमत।
- 85 C  
Ex. दोनों सही हैं।
- 86 D  
Ex. सभी सही हैं।
- 87 C  
Ex. दोनों सही हैं।
- 88 C  
Ex. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन सम्बन्धित राज्य की संचित निधि पर आरित होता है, जिकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
- 89 B  
Ex. – वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णित है।  
– बजट धन विधेयक होता है।  
– बजट केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 90 B  
Ex. सभी सही हैं।
- 91 C  
Ex. लेखानुदान द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की कुछ अनुदान की कुल माँग का लगभग 1/6 वाँ भाग अनुमोदित किया जाता है।
- 92 C  
Ex. सभी संकल्प, प्रस्ताव होते हैं किन्तु सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते।
- 93 D  
Ex. सभी सही हैं।

94 D

**Ex.** लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु 100 तथा राज्य सभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

95 C

**Ex.**

96 D

Ex.

97 B

**Ex.** सभी सही हैं।

98 D

**Ex.** सभी सही हैं।

99 B

**Ex.** कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी सील एवं (मुहर) वारंट के साथ की जाती है।

100 A

**Ex.** भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो एकात्मक लक्षण है, ना कि संघात्मक।